.. .. .. 23 / स.क. / 2003–387(समाज कल्याण) / 2003

प्रेषक,

एस.के. मुट्टू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक :16 दिसम्बर, 2003

विषयः एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार अथवा शिक्षा हेतु विस्थापित होने के फलस्वरूप जाति प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में आया है कि वे व्यक्ति जो रोजगार अथवा शिक्षा हेतु किसी अन्य राज्य से उत्तरांचल में विस्थापित हुए हैं, उनके पुत्र / पुत्रियों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है जिससे वे शिक्षा व रोजगार हेतु उक्त जातियों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित हो रहे हैं।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के शासनादेश संख्या B.C.-16014/1/82-SC&BCD-I दिनांक 6अगस्त, 1984 में यह व्यवस्था दी गई है कि रोजगार अथवा शिक्षा हेतु एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्थापित होने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति / जनजाति का दर्जा समाप्त नहीं होगा किन्तु उक्त जाति विशेष का लाभ उसे उसके पैतृक राज्य में ही प्राप्त होगा न कि विस्थापित होने के फलस्वरूप अंगीकृत राज्य में। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 6अगस्त, 1984 के साथ संलग्न जाति प्रमाणपत्र के प्रारूप में उल्लेख है कि पिता / माता को जारी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर उनके बच्चों को भी जाति प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 6अगस्त, 1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार पिता / माता को जारी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर उनके बच्चों को भी नियमानुसार जाति प्रमाणपत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एस.के. मुट्टू)
सचिव।

संख्या 3323(1) / स.क. / 2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, कुमाऊ / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद चन्द्र रावत)
अपर सचिव।

C:\Program Files\My Documents\Pandey\Letter KKP 12 2003.rtm